तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **तेज कुमार मीना बनाम पुलिस उपायुक्त उत्तर** **जीसीएमएस नं. 2021/245**
04.10.21	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना शास्त्रीनगर जयपुर में मुकदमा नम्बर 275/18 दिनांक 16.08.18 को अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ एवं मुकदमा 180/2020 दिनांक 30.06.20 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ दर्ज हुए है जिसमें न्यायालय एसीएमएम 11 जयपुर महानगर के निर्णय दिनांक क्रमशः 01.09.18 एवं 27.07.2020 द्वारा 100/-रूपये के जुर्मान किया गया है जिस के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना शास्त्रीनगर द्वारा इस्तगासा बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है एवं अपीलार्थी स्वयं की स्वेच्छापूर्वक जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2021 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में जब अपीलान्ट स्वयं के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म ही स्वीकार कर लिया गया है तो अब अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2021 के सम्बन्ध में किसी प्रकार के उज्रात/अपील प्रस्तुत करने के कानूनन अधिकार अपीलान्ट को नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय पुलिस उपायुक्त (उत्तर) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2021 को यथावत रखा जाता है। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त जयपुर